Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक
नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 22 | अंक 26 | मंगलवार, फरीदाबाद, 1-15 दिसंबर, 2009 | फोन : -2410196,9999595632 | सहयोग राशि 1 रुपया

'हूडा' कमिशनर आए तो, पर देखा क्या ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 25 नवम्बर को हूडा-हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आयुक्त यानी कि विभाग के सर्वोच्च अधिकारी डीएस ढेसी यहां पहुंचे। कहने को उन्होंने हूडा द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया, स्टॉफ़ को ईमानदारी व पारदर्शिता से काम करने की नसीहत के अलावा जनता को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा।

जहां तक सवाल है विभागीय इंजीनियरों द्वारा विकास कार्यों के करवाने का तो उनके बारे में तो ढेसी साहब चंद घंटों में क्या देख पाए होंगे? क्या पता कौन सा इंजीनियर कितना बड़ा घोटाला बोने में लगा हुआ है। जब डिविजन नं. 4 के इंजीनियर सवा करोड़ का घोटाला बो रहे थे तब भी ढेसी साहब जैसे साहबों ने उनका निरीक्षण तो किया ही था लेकिन घोटाला तो तब खुला जब घोटालेबाजों में बंटवारे पर झगैड़ा हुआ। रही बात ईमानदारी, पारदर्शिता व जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की तो वह तो हूडा की किताब में लिखा ही नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक का कर्तचारी व अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक इस उधेड़ बुन में रहता है कि वह किस-किस तरह से लोग़ों को तंग करके अधिक-से-अधिक पैसा लूट कर घर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए करीब एक माह पूर्व सेक्टर-7ए की एक बुजुर्ग महिला ने हूडा में आवेदन किया कि उन्हें बताया जाए कि उन्होंने हूडा का कुछ बकाया तो नहीं देना है? वास्तव में उन्हें यह प्लॉट सीधे सरकार द्वारा 1965-66 में तब अलॉट हुआ था जब 'हूडा' का जन्म भी नहीं हुआ था।

- शेष पेज 2 पर

सम्पदा अधिकारी का अंग्रेजी ज्ञान

सेक्ट-15 की मार्किट में अनाधिकृत तरीके से हुए निर्माण कार्यों के बारे में सेक्टर-9 के निवासी ने आरटीआई कानून के तहत सूचना मांगी थी। जवाब में जनसूचना अधिकारी एवं संपदा अधिकारी ने सूचना तो आधी अधूरी दी सो दी, उनका अंग्रेजी में लिखा जवाब तो और भी गज़ब का है। पूरी सूचना पाने की उम्मीद तो यद्यपि ऊपर बैठे अपीली अधिकारियों से भी कोई नहीं है, क्योंकि सभी के सभी तो एक ही डाल के खरबूजे हैं, फ़िर भी अपील तो डाली ही जाएगी। हां सम्पदा अधिकारी के अंग्रेजी ज्ञान का नमूना पाठकों को दिखाने के लिए उनके पत्र की फ़ोटो नीचे प्रस्तुत है :

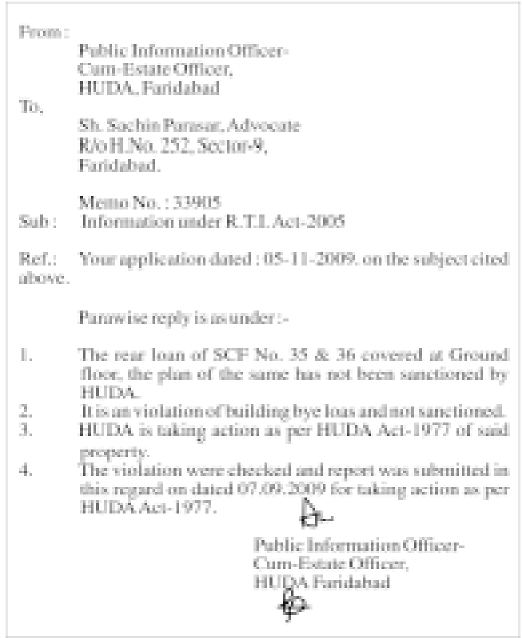
From :
Public Information Officer-
Cum-Estate Officer,
HUDA, Faridabad
To,
Sh. Sachin Parasar, Advocate
R/o H.No. 252, Sector-9,
Faridabad.

Memo No. : 33905
Sub : Information under R.T.I. Act-2005
Ref.: Your application dated : 05-11-2009. on the subject cited above.

Parawise reply is as under :-

1. The rear loan of SCF No. 35 & 36 covered at Ground floor, the plan of the same has not been sanctioned by HUDA.
2. It is an violation of building bye loas and not sanctioned.
3. HUDA is taking action as per HUDA Act-1977 of said property.
4. The violation were checked and report was submitted in this regard on dated 07.09.2009 for taking action as per HUDA Act-1977.

Public Information Officer-
Cum-Estate Officer,
HUDA Faridabad

सूचना के अधिकार कानून के तहत उनसे यह भी पूछा गया था कि अवैध निर्माणों को होने देने व उनके विरुद्ध

- शेष पेज 2 पर

श्रमायुक्त अरुण कुमार नहीं भाये

फ़रीदाबाद (म.मो.) पिछले दिनों आईएएस अधिकारियों के फ़ेर बदल के दौरान अरुण कुमार को हरियाणा का श्रमायुक्त नियुक्त कर दिया गया था। शहर के लोग़ों ने इन्हें बतौर ज़िला उपायुक्त छः माह के लिये देखा था। उस दौरान तमाम भ्रष्टाचारियों में खलबली मच गई थी। तहसील की खुलेआम चलने वाली रिश्वत, जो कहते हैं कभी रुक नहीं सकती, एकदम बंद-सी हो गई थी।

जो कोई लेता भी था तो बहुत ही सोच-समझ कर पूरी जुगत से लेने का साहस करता था। उन्होंने खुली घोषणा कर दी थी कि रिश्वतखोर को पकड़वाने वाले को 20000 नकद इनाम दिया जायेगा। विभिन्न विभागों के कुछ भ्रष्टों के पकड़े जाने के बाद सभी विभागों, यहां तक कि कचहरियों में भी भ्रष्टाचारी स्टाफ़ घबराने लगा था। लेकिन ऐसे अधिकारी को सरकार, और वह भी चौटालों की, कब तक झेल सकती थी? और जब उन्होंने तत्कालीन एसपी रणवीर शर्मा के कमाऊ पूतों (थानेदारों व हवलदारों) तक को पकड़ना शुरू कर दिया था तो पानी एकदम सिर से ऊपर निकल गया। लिहाज़ा उनको वापस चंडीगढ़ जाना पड़ा। ऐसे अफ़सर के श्रमायुक्त लगने से जहां मज़दूर वर्ग तथा इसके हितैषियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी थी, वहीं भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गयी थी। गौरतलब बात यह है कि उनसे नीचे के अधिकारी तो परेशान हुए ही हुए, उनसे ऊपर के वे अधिकारी भी तड़फ़ गये जिनके निहित स्वार्थ अभी भी श्रम विभाग से जुड़े हुए हैं। जिन अधिकारियों की ठेकेदारों, सप्लायरों व कारखानेदारों से पुरानी सांठगांठ चली आ रही है, उन सब के सामूहिक प्रयास रंग लाये और उनको श्रमायुक्त का पद भार संभालने से पहले ही चलता कर दिया गया।

> "अरुण कुमार की नियुक्ति को उसी परिपेक्ष्य में देखते हुए लगा था कि श्रममंत्री महेन्द्र प्रताप को बात समझ में आ गई है और वे वास्तव में ही इस विभाग से भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास तो करेंगे ही लेकिन अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने का कोई ठेका थोड़े ना उठा रखा है।"

'मज़दूर मोर्चा' के गतांक में राज्य के नवनियुक्त श्रममंत्री पर सवाल दाग़ा था कि क्या वे अपने मातहत आने वाले श्रम विभाग से भ्रष्टाचार मिटा पाएंगे? अरूण कुमार की नियुक्ति को उसी परिपेक्ष्य में देखते हुए लगा था कि श्रममंत्री महेन्द्र प्रताप को बात समझ में आ गई है और वे वास्तव में ही इस विभाग से भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास तो करेंगे ही लेकिन अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने का कोई ठेका थोड़े ना उठा रखा है; सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे की चलता आ रहा है। इसके अलावा जब सभी तरह की रंग बिरंगी ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग ने भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ़ चुप्पी साध रखी है तो अकेले मंत्री जी को क्या पड़ी है जो भ्रष्टाचारियों के गिरोह से टकराते फ़िरें।

रणबीर हुड्डा को भारत रत्न : चापलूसों की मांग

फ़रीदाबाद (म.मो.) मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के पिता स्वर्गीय रणबीर सिंह हुड्डा का 25 नवम्बर को जन्मदिन मनाते हुए जाट समाज के कुछ चौधरियों ने उनके लिए भारत रत्न की मांग कर डाली। इसका आधार यह बताया गया कि वे संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य तो वे 60-70 साल पहले बने थे।

लेकिन अब से पहले उनका जन्मदिन कभी किसी ने नहीं मनाया; भारत रत्न की तो बात ही छोड़ो। यह सिलसिला तो उनके पुत्र (भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुआ, जाहिर है यह सिलसिला सिर्फ़ और सिर्फ़ चापलूस करने के लिए चलाया गया है, वरना अब से पहले जाट समाज व इसके सभी चौधरी भी यहीं बसते थे।

जहां तक बात है, स्व. रणबीर सिंह के संविधान सभा के सदस्य होने की तो उस सभा में तो 389 सदस्य थे जिनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्या इस सभा का सदस्य होने मात्र से ही कोई भारत रत्न पाने का हकदार हो जाता है? नहीं यह संभव नहीं। क्या उन्होंने उस सभा में बैठकर संविधान में कोई ऐसी लाइन लिखवाई जिससे हरियाणा अथवा देश के किसानों का कोई भला हुआ हो? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मात्र सभा में तमाशबीन की तरह बैठकर आ जाने में तो कोई पराक्रम की बात नहीं। इससे तो कहीं अधिक पराक्रम उस छोटूराम ने किया जिसने बिना इस सभा का सदस्य बने ही ऐसे कानून बनाकर रख दिए थे जिसे न केवल हरियाणा के बल्कि भारत व पाकिस्तान भर के किसान कभी भुला नहीं सकते। उस जमाने में किसान को साहूकार के पंजे से मुक्ति दिलाना किसी क्रांति से कम नहीं था। यद्यपि वे किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं हैं फ़िर भी जाट समाज के चौधरी उनके लिए भारत रत्न क्यों नहीं मांगते? जाहिर है उनका बेटा यदि मुख्यमंत्री होता तो ये लोग उनके लिए भी मांग लेते।

ईएसआई की एक्स-रे मशीन एक माह से खराब

फ़रीदाबाद (म.मो.) इस औद्योगिक शहर के 1,60000 बीमाकृत परिवारों को स्वास्थ्य सेवायें देने वाले एनआईटी के नंबर-3 में स्थित अस्पताल का अपना स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो बेचारे मरीज़ों का स्वास्थ्य क्या ठीक करेगा। पलवल, तिगांव, बल्लबगढ़ व शहर के अन्य इलाकों से एक्स-रे कराने वाले मरीज़ जब किराया-भाड़ा खर्च करके इस अस्पताल में पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि मशीन तो खराब पड़ी है। ऐसे में उन्हें सात किलोमीटर दूर स्थित सेक्टर-8 के अस्पताल में जाने को कहा जाता है यानी कि 20-30 रुपये और किराये-भाड़े का खर्च। फ़िर वहां जाने पर ही कौन-सा एक्स-रे हो जाना है, वहां कभी बिजली नहीं, कभी ऑपरेटर नहीं, और सब कुछ है तो फ़िल्म नहीं। यानी कि इतना भटकने पर भी एक्स-रे होने की गारंटी नहीं। और यह सब कवायद भी उस व्यक्ति से करवाई जाती है जिसका हाथ, पैर या कोई अन्य हड्डी-पसली टूटी हुई हो। ऐसे में समझदार मरीज़ ईएसआई में धक्के खाने की बजाये चुपचाप सीधे किसी प्राइवेट दुकान पर 100 रुपये देकर अपना एक्स-रे करवाना बेहतर समझता है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह उस ईएसआई का हाल है

- शेष पेज 2 पर

एक्स-रे व अन्य जरूरी मशीनों की बजाय फ़ीजियोथरेपी पर 50 लाख खर्च

फ़रीदाबाद (म.मो.) वर्ष 2007-8 में फीजियोथरेपी के साज़-ओ-सामान पर 50 लाख खर्च कर दिये गये। टरेक्शन की एक अकेली मशीन पर 12 लाख लगा दिये गये। अच्छी बात है, इन मशीनों की भी अस्पताल में सख्त ज़रूरत थी। लेकिन इनसे भी कहीं ज़्यादा सख्त ज़रूरत एक्स-रे मशीन व अन्य मशीनों की थी।

मजे की बात तो यह है कि ईएसआई निगम किसी भी मशीन को खरीदने से मना नहीं करता, फ़िर भी सरकार को मशीनें खरीदने में ज़ोर पड़ता है, क्योंकि उसे खरीद का आठवां भाग जो देना पड़ता है। आठवां भाग तो उपरोक्त 50 लाख में भी देना पड़ा था तो फ़िर उक्त मशीनें कैसे खरीद ली गईं?

वे इसलिए खरीद ली गईं कि तत्कालीन श्रम मंत्री को फ़ीजियोथरेपी व टरेक्शन की जरूरत पड़ती थी। डॉ. सहारण को इस बात का पता चल गया तो उसने चमचागिरी का अच्छा मौका समझ कर मंत्री जी की सेवा में ये सब साज़-ओ-सामान उपलब्ध करा दिया। बाकी जनता की जरूरतें जाये भाड़ में। और तो और, इस अस्पताल का आज तक बिजली का कनेक्शन भी इसके लोड के मुताबिक नहीं लग सका। मौजूदा कनेक्शन से होने वाली बिजली आपूर्ति जरूरत से कहीं ज़्यादा कम है। जनरेटर की तो बात ही छोड़ो। वह तो काम के लिए कम, दिखावे के लिए ज़्यादा है। इसके चलते लाखों रुपये के डॉक्टरी उपकरण हर साल फुंक जाते हैं।